लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3186

6 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

लाल इमली वस्त्र मिल

3186. श्री सत्यदेव पचौरीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की लाल इमली मिल, कानपुर के कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की कानपुर में बंद वस्त्र मिलों की भूमि के उपयोग हेतु कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की कानपुर में एल्गिन मिल्स के अंतर्गत स्कूल कर्मचारियों की कई वर्षों की बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) तथा (ख): ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि. (बीआईसीएल) वर्ष 1981 में इसके राष्ट्रीयकरण के समय से घाटे पर चल रही है। लगातार घाटे पर चलने के कारण बीआईसी को वर्ष 1991 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था और इसे वर्ष 1992 में रूग्ण घोषित कर दिया गया था। सरकार ने 211 करोड़ रुपए, 47.35 करोड़ रुपए और 338.04 करोड़ रुपए की लागत से नवंबर, 2001, 2005 और 2011 में पुनरुद्धार योजनाएं अनुमोदित की थी जो सफल नहीं हुई क्योंकि लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने और निधियां जुटाने के लिए उनकी बिक्री करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में बीआईसीएल को बंद किए जाने की सिफारिश की है। कर्मचारियों के लंबित वेतन और अन्य बकायों का भुगतान कंपनी के बंद हो जाने और बंद किए जाने के नियमों के अनुसार परिसंपत्तियों की बिक्री करके किया जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) से (च): कानपुर टेक्सटाइल लि. (सीटीएल) और एल्गिन मिल्स कंपनी लि. (ईएमसीएल), ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि. (बीआईसीएल) की सहायक कंपनियां हैं। इन मिलों को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा वर्ष 1999 में बंद कर दिया गया था और सरकारी परिसमापक की नियुक्ति कर दी गई थी। वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2001 में ईएमसीएल एवं सीटीएल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिृवत्ति योजना (वीआरएस) की सुविधा प्रदान की थी। 47 कर्मचारियों को छोड़कर ईएमसीएल और सीटीएल के सभी कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया था। शेष 47 कर्मचारियों का वेतन जिसमें स्कूल के कर्मचारी भी शामिल थे, का भुगतान जुलाई, 2001 से अक्तूबर, 2014 तक बीआईसीएल द्वारा किया गया था। वर्ष 2012 और 2013 में सरकारी परिसमापक, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईएमसीएल और सीटीएल की चल और अचल परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया था। परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने के पश्चात सभी लंबित बकायों का भुगतान सरकारी परिसमापक द्वारा दोनों सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री करके किया जाना है।

*****